



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1947 (श10)

(सं० पटना 1653) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अक्तूबर 2025

सं० उ०प्र०नि० (संधारण)-14-04/2024-637

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
वायुयान संगठन निदेशालय

संकल्प

5 अक्तूबर 2025

विषय:- राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल (Aero Sport) के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमानों एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमानन अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI), नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति।

राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमान एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमानन अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI), नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाना है। विमानन क्षेत्र के निरंतर विस्तार के कारण प्रशिक्षित पायलटों की आवश्यकता बढ़ रही है, किन्तु उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएँ और संसाधन इस मांग के अनुरूप विकसित नहीं हो पाए हैं। राज्य में विमानन खेल के विकास की असिम संभावनाओं को देखते हुए बिहार को एक प्रमुख उड्डयन प्रशिक्षण तथा विमानन खेल केंद्र (Hub) के रूप में विकसित करना इस समझौते का मूल उद्देश्य है।

2. एयरो क्लब ऑफ इंडिया एक गैर-लाभकारी एवं गैर-सरकारी संगठन है, जिसे भारत में विमानन खेल एवं विमानन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह फेडरेशन ऑफ एयरोनॉटिकल इंटरनेशनल (FAI) से सम्बद्ध संस्था है और इसे भारत में विमानन खेलों की नोडल संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त

है। इसके द्वारा विभिन्न उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदानित दर पर लीज पर प्रशिक्षण विमान उपलब्ध कराया जाता है।

3. इसकी अवधि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की तिथि से 15 वर्ष की होगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। यदि कोई पक्ष समाप्ति चाहता है तो उसे 6 माह पूर्व सूचना देनी होगी। एयरो क्लब ऑफ इंडिया, बिहार सरकार को प्रतिवर्ष ₹1 (एक रुपया) का प्रतीकात्मक शुल्क देगा।

4. अवसंरचना का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें एयरो क्लब ऑफ इंडिया का कोई स्वामित्व/अधिकार नहीं होगा। भूमि का स्वामित्व सदैव बिहार सरकार के पास रहेगा। एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा अपने व्यय पर खरीदी गई चल परिसंपत्तियाँ उसकी संपत्ति रहेंगी।

5. दोनों पक्ष केंद्र/राज्य सरकार, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) एवं अन्य नियामक संस्थाओं के निर्देशों का पालन करेंगे।

6. इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु होंगे:-

प्रथम पक्षकार (बिहार सरकार) का उत्तरदायित्व:-

- (क) राज्य सरकार, अपनी भूमि पर उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान (FTO) और विमानन खेल केंद्र के संचालन हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और संचालन से जुड़ी सेवाएं एयरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से उपलब्ध कराएगी।
- (ख) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व तकनीकी सहायता एयरो क्लब ऑफ इंडिया देगा। इसमें सुरक्षा, निरीक्षण, समन्वय और विभागीय सहयोग भी शामिल रहेगा।
- (ग) भवन, हेंगर आदि का निर्माण एवं सुरक्षा व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा अपने व्यय पर की जाएगी।
- (घ) सभी कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार की नीतियों, पर्यावरणीय कानूनों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे तथा संबंधित गतिविधियों की सुरक्षा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) मानकों के अनुरूप बिहार सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (ङ) संरचनाओं से संबंधित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र समय-समय पर नागर विमानन महानिदेशालय के नियमानुसार प्राप्त किए जाएंगे। इसमें एयरो क्लब ऑफ इंडिया सहयोग करेगा।
- (च) बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार विमान, सिम्युलेटर एवं संबंधित एयरोस्पोर्ट्स उपकरणों की खरीद करेगी अथवा सेवा प्राप्त करेगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी अथवा आपसी सहमति के आधार पर लीज व्यवस्था स्वीकार की जाएगी। लीज पर वस्तु/सेवा की अधिप्राप्ति अथवा सरकार द्वारा भूमि/भवन इत्यादि की सुविधा किसी पक्ष को देने की स्थिति में योजना एवं अनुमानित लागत पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

द्वितीय पक्षकार [एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI), नई दिल्ली] का उत्तरदायित्व :-

- (क) चिन्हित स्थानों पर एयरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान (FTO), वायु क्रीड़ा केंद्र (Aero Sports Hub) एवं संबंधित अवसंरचना का विकास व संचालन किया जाएगा।
- (ख) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, बिहार में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, वायु क्रीड़ा, सिम्युलेटर, वायु यातायात सेवाएँ (ANS) उपकरण और सुरक्षा अवसंरचना की खरीद व स्थापना में तकनीकी सहयोग देगा, जिसमें ग्रीनफील्ड अवसंरचना की स्थापना भी शामिल होगी।

- (ग) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नागर विमानन महानिदेशालय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करेगा तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं, सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों से समन्वय करेगा।
- (घ) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नागर विमानन महानिदेशालय, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ASFI) एवं फेडरेशन ऑफ एयरोनॉटिकल इंटरनेशनल (FAI) के निर्देशों के अनुसार सभी सुविधाओं का निरीक्षण, परीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट करेगा तथा भारत सरकार की एजेंसियों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (ङ) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और महिलाओं को प्रशिक्षण में प्राथमिकता देगा तथा उनके लिए वित्तीय सहायता मॉडल राज्य सरकार के साथ मिलकर विकसित करेगा।
- (च) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, विकसित की गई किसी भी सुविधा का व्यावसायिक उपयोग बिहार सरकार की पूर्व अनुमति व सहमति के बिना नहीं करेगा।

7. परियोजना के लिए एयरो क्लब ऑफ इंडिया (द्वितीय पक्ष) और अन्य सभी हितधारकों के साथ संपर्क करने के लिए निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय, बिहार को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

8. अतः राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमान एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमानन अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की दिनांक-03.10.2025 की बैठक में मद संख्या-101 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण और जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1653-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>